झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अपराधिक विविध याचिका संख्या 1563/2023

केशव कुंभकार@ केशव कुंभकार, उम्र- लगभग 25 वर्ष, पिता- गिरिंद कुंभकर, निवासी- बागसुमा गांव, डाकघर- बागसुमा, थाना- गोविंदपुर, जिला- धनबाद, झारखंड-828109.

...याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. शीला कुमारी @कुमारी शिला पंडित,पत्नी- जयदेव कुंभकर, पुत्री- बीरबल पंडि, उम्र- 20 साल, निवासी ग्राम- बागसुमा, पोस्ट- बागसुमा, थाना- गोविंदपुर, जिला- धनबाद, झारखंड, वर्तमान में ग्राम- बांकुडीह, डाकघर- सीतलपुर, थाना- नारायणपुर, जिला-जामताड़ा, झारखंड।

....विपक्षीगण

याचिकाकर्ता के लिए :श्री भास्कर त्रिवेदी, अधिवक्ता,
राज्य के अधिवक्ता :श्री पंकज कुमार, लोक अभियोजक
विपक्षी संख्या 2 के लिए :कोई नहीं

उपस्थित
माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना।

2. हालांकि विपरीत पक्ष संख्या 2 को वैध रूप से नोटिस दिया गया है, फिर भी बार-बार पुकारे करने के बावजूद कोई भी विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से नहीं आता है।

3. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है। पी.सी.आर. मामला संख्या 201/2021 में पारित दिनांक 06.05.2022 के आदेश को रद्द करने और अलग करने की प्रार्थना के साथ जिसके तहत और जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान के

तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ लिया गया है, जो शिकायतकर्ता/विरोधी पक्ष संख्या 2 का बहनोई (देवर) है और पी.सी.आर. मामला संख्या 201/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,जामतारा की अदालत में लंबित है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ शिकायतकर्ता से रूपये 1,00,000/- की मांग कर रहा था और उक्त दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करता था। दिनांक 20.12.2020 को ससुरालवालों ने शिकायतकर्ता को प्रताडित किया. शिकायतकर्ता को को पेट में चोटें आईं और धनबाद में उसका इलाज किया गया। शिकायतकर्ता के ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया और उसके गहने और कपड़े अपने पास रख लिए। दिनांक 20.06.2021 को एक पंचायत थी जिसमें शिकायतकर्ता के ससुराल वालों ने बताया कि जब तक शिकायतकर्ता रूपये 1,00,000/- का भुगतान नहीं करता है, वह अपने वैवाहिक घर में नहीं आएगी और शिकायतकर्ता अपने पिता के घर में है। शिकायतकर्ता का शपथ पर बयान दिनांक 26.08.2021 को दर्ज किया गया था। शिकायत, शिकायतकर्ता का शपथ पर बयान और जांच गवाहों के बयान के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता आर. एस. मोड कॉलेज, गोविंदपुर, धनबाद जिले मे छात्र है और वह अलग रह कर अपने नियमित बी.ए. पाठ्यक्रम जो सत्र 2018-2021 है अपनी पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए विशेष रूप से कोई स्पष्ट कार्य करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और उसके खिलाफ आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आपराधिक विविध याचिका संख्या 257/2012 और आपराधिक विविध याचिका संख्या 2647/2018 में पारित इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर निर्भर करता है जो दिनांक 06.07.2023 और दिनांक 20.07.2022 को पारित किया गया है और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं, इसलिए, यह आपराधिक कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 06.05.2022 का आदेश जो पी.सी.आर. संख्या 201/2021 में पारित किया गया और पी.सी.आर. संख्या 201/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,जामतारा की अदालत में लंबित है।

6. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् लोक अभियोजक दिनांक 06.05.2022 का आदेश जो पी.सी.आर. संख्या 201/2021 में पारित किया गया के आदेश और पी.सी.आर. संख्या 201/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,जामतारा की अदालत में लंबित है को रद्द करने और अलग करने के लिए प्रार्थना का जोरदार विरोध करता है और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दहेज की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार करने का सीधा आरोप है। इसलिए, इस प्रारंभिक चरण में, दिनांक 06.05.2022 का आदेश जो पी.सी.आर. संख्या 201/2021 में पारित

किया गया के आदेश और पी.सी.आर. संख्या 201/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,जामतारा की अदालत में लंबित है को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया जाए।

7. बार में प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को देखते हुए, कहकशान कौसर @सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले जो (2022) 6 एससीसी 599 में रिपोर्ट किए गए में भारत की माननीय सर्वोच्च अदालत का उल्लेख करना उचित है अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए अन्य आरोपों को ध्यान में रखते हुए, मामला सामान्य और सर्वव्यापी है, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति अभियोजन की गारंटी नहीं देते हैं; अनुच्छेद - 18 में इस प्रकार अवलोकन करके, जो निम्नानुसार हैः-

"18. इस मामले के तथ्यों के लिए, 1-4-2019 की एफआईआर की सामग्री के अवलोकन पर, यह पता चला है कि सामान्य आरोप अपीलार्थियों के खिलाफ लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि "सभी अभियुक्तों ने गर्भावस्था के बाद उन्हें प्रताड़ित किया और धमकी दी।" इसके अलावा, कोई विशिष्ट और विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं, अपीलार्थियों को उनके खिलाफ लगाए गए सामान्य आरोपों को आगे बढ़ाने में किसी भी विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह बस एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जिसमें कोई भी अपराध को आगे बढ़ाने में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाने में विफल रहता है। इसलिए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी हैं और कहा जा सकता है कि ये छोटी-छोटी झड़पों के कारण लगाए गए थे। जहां तक पति का सवाल है, चूंकि उसने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है, इसलिए हमने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच नहीं की है। हालांकि, जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य और सर्वव्यापी होने के कारण अभियोजन की गारंटी नहीं देते हैं। (जोर दिया गया)

8. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी विशेष अवसर पर कोई विशेष कार्य करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि शिकायत याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी अभियोजन की गारंटी नहीं देता है। इसलिए दिनांक 06.05.2022 का आदेश जो पी.सी.आर. संख्या 201/2021 में पारित किया गया और पी.सी.आर. संख्या 201/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,जामतारा की अदालत में लंबित है याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाएगा और जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, उसी को रद्द कर दिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा।

9. तदनुसार, दिनांक 06.05.2022 का आदेश जो पी.सी.आर. संख्या 201/2021 में पारित किया गया और पी.सी.आर. संख्या 201/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,जामतारा की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग कर दिया गया है।

5. इसके परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविधयाचिका कि अनुमति है।

निर्णय की तिथि: 04/12/2023 (न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।